अब कॉमन्स सभा की स्थिति है कॉमन्स सभा की शक्तियों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं.

(1) व्यवस्थापिका संबंधी कार्य

(2) वित्त - संबंधी कार्य

(3) कार्यपालिका पर नियंत्रण

(4) जनता के शिकायतों को दूर करना।

(1) <u>व्यवस्थापिका संबंधी कार्य</u>: —

कॉमन्स सभा का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य विधि या कानून का निर्माण करना है। कानूनों के निर्माण की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित है, परंतु लॉर्ड्स सभा की शक्तियां के कम हो जाने के परिणामस्वरूप कॉमन्स सभा ही व्यावहारिक रूप में यह कार्य करती है। कॉमन्स सभा यदि किसी विधेयक को पारित कर देती है तो अंततोगत्वा लॉर्ड्स सभा को उसे पारित करना ही होता है। किसी साधारण विधेयक पर यदि 1 वर्ष की अवधि में लॉर्ड्स सभा उस पर निर्णय नहीं लेती तो कॉमन्स सभा उसे सम्राट की अनुमति के लिए भेज सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है इसमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाममात्र की है और जहां तक लॉर्ड्स सभा का प्रश्न है, वह किसी भी साधारण विधेयक को अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए और धन विधेयक को केवल एक माह के लिए रोक रख सकती है,

(2) वित्त संबंधी कार्य — राजकीय वित्त पर भी कॉमन्स सभा का नियंत्रण रहता है आय-व्यय का वार्षिक ब्यौरा कॉमन्स सभा में रखा जाता है लॉर्ड्स-सभा कॉमन्स सभा द्वारा पारित किए हुए धन-विधेयक को एक माह (1) से अधिक नहीं रोक सकती और यदि वह ऐसा करती है तो वह विधेयक पारित मान लिया जाता है और उसे

Scanned by TapScanner

कोर्ट सम्राट के पास इसकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है।

→ प्रतिवर्ष फरवरी माह में वित्त मंत्री कॉमन्स सभा की अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है और इसे स्वीकृत करके कॉमन्स सभा आगामी वर्ष के आय-व्यय का निर्धारण करती है। कॉमन्स सभा की स्वीकृति के बिना न तो कोई धन व्यय किया जा सकता है और न कोई कर लगाया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्त विधेयक कॉमन्स सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और कॉमन्स सभा की इच्छा के विरुद्ध मंत्रिपरिषद् भी व्यय नहीं कर सकती। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि मंत्रिपरिषद् जो चाहती है, करा लेती है इस प्रकार वित्तीय मामलों में वास्तविक नियंत्रण मंत्रिपरिषद् का ही हो जाता है।

(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over the Executive) — ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण सिर्फ कॉमन्स सभा का है, लॉर्ड्स सभा का नहीं। कॉमन्स सभा देश के प्रशासन का निरीक्षण एवं नियंत्रण करती है यह निम्न रूपों में मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है —

(i) मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में कॉमन्स सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री कॉमन्स सभा के बहुमत दल का नेता होता है मंत्रिमंडल उस समय तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कॉमन्स सभा का विश्वास प्राप्त है।

(ii) कॉमन्स सभा बजट में प्रस्तावित सरकारी व्यय की विविध मदों में कटौती द्वारा, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास के प्रस्ताव, प्रश्नों तथा सरकारी नीतियों एवं विभागों की आलोचनाओं द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।

Scanned by TapScanner

(ग)

4) **जनता की शिकायतों का प्रकाशन (Ventilation to public grievances)** — वाद विवाद लोकतंत्र का जीवन तत्व होता है, क्योंकि इसके द्वारा जनता की आवश्यकताओं व माँगें प्रकाश में आती है इसके द्वारा सरकार की गलत नीतियों की आलोचनाएं तथा जनता की राजनीतिक शिक्षा भी होती है संसद सभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, अतः वे जनता की शिकायतों को दूर करने का प्रयास करते हैं तथा उन्हें संसद सभा तक पहुँचाते हैं उन्हें प्रश्न तथा इनके उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न करने का अधिकार होता है।

#